

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपरतण्ड अधिकारी मुकाम माण्डल
 मुकदमा सौ हम लाल बनाम राधेश्याम
ईजराय नं. 21 सन 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6-3-17	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई ईजराय डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 21-4-17 को पेश हो।	
21-4-17	उपखण्ड अधिकारी मंडल जिला भीलवाड़ा पत्रावली पेश हुई। रजिस्ट्री कार एकोरि एरान के द्वारा कार्य का स्थगन दिया गया है। वरन् डिक्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 21-7-17 को पेश हो।	
21-7-17	पत्रावली पेश हुई। रजिस्ट्री कार एकोरि एरान के द्वारा कार्य का स्थगन दिया गया है। वरन् डिक्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 24-11-17 को पेश हो।	
24-11-17	उपरोक्त मुकदमा में उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्यालय से बाहर हैं। अदालत पर है / पत्रावली दिनांक 21-12-17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डल	
21-12-17	पत्रावली पेश हुई, अतिरिक्त न्यायिक कार्य स्थगन/वर्द्धिकार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो 27-4-18	
01.06.18	पत्रावली पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी न्याय कार्यालय द्वारा 2018 कोरि डेयस मुकदमा पेश पेश हुई। पत्रावली द्वारा निर्दिष्ट अनुगत कार्रवाई किया कि उपखण्ड में RMA कोरि का स्थगन है। स्थगन होने में पालना सम्भव नहीं है।	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

सुझाव में उच्च न्यायालय (R.A.) का
सुझाव हमें से सुझाव निर्गल होने तक
सुझाव में फालना नही की जा सकली है।
सुझाव के निर्णय तक सुझाव को अभी स्तर
पर ड्रॉप किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भोलवाड़ा)

दिनांक २०/०५/२०२३
स्थान: भोलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भोलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भोलवाड़ा)